<u>अनुस्मारक- IV</u>

22022-1/2018-रा.भा.(विविध)

<u>महत्वपूर्ण</u>

फ़ाइल संख्या-23012-2/2017-रा.भा.
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

दिनांक- 16 मार्च,2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय- डाक विभाग, नई दिल्ली और संबद्ध कार्यालयों की वैबसाइट के अनिवार्यतः द्विभाषीकरण के संबंध में।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालय की वैबसाइट का हिन्दी तथा अँग्रेजी, दोनों भाषाओं में होना अनिवार्य है। जैसा कि सी ई पी टी, मैसूर कार्यालय डाक विभाग की प्रमुख वैबसाइट सहित अन्य वैबसाइट के रखरखाव, द्विभाषीकरण आदि के लिए एक नोडल एजेंसी है अतः सी ई पी टी, मैसूर कार्यालय का उत्तरदायित्व है कि वे निम्नलिखित वैबसाइटों को हमेशा द्विभाषी और अद्यतित रखे :-

क. www.indiapost.gov.in

ख. www.ebanking.indianpost.gov.in

ग. www.postagestamps.gov.in

घ. www.postallifeinsurance.gov.in

ङ. www.raknpa.gov.in

च. www.appost.in

2. डाक विभाग के राजभाषा अनुभाग द्वारा समय-समय पर सी ई पी टी, मैसूर कार्यालय सहित उपरोक्त वैबसाइटों से जुड़े कार्यालयों को भी अवगत कराया जाता है कि वे अपनी कार्यालय की वैबसाइट हमेशा द्विभाषी एवं अद्यतित रखें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अनुभाग सी ई पी टी, मैसूर कार्यालय सहित उपरोक्त वैबसाइटों से जुड़े कार्यालयों को मुख्य कार्यालय ज्ञापन सहित अभी तक तीन अनुस्मारक जारी कर चुका है। इन अनुस्मारकों में विभिन्न वैबसाइटों की उन मदों का भी उल्लेख किया जाता रहा है जो अँग्रेजी में होती हैं और जिन्हे तत्काल हिन्दी में किया जाना अपेक्षित होता है। खेद का विषय है कि अभी तक इस दिशा में किसी भी कार्यालय द्वारा अपनी वैबसाइट पूर्णतया द्विभाषी में तैयार नहीं करवाई है। दूसरी तरफ सी ई पी टी, मैसूर कार्यालय यह मानना कि डाक विभाग कार्यालय की वैबसाइट www.indiapost.gov.in 80% द्विभाषी एवं अद्यतित है एक भ्रामक कथन प्रतीत होता है।

3. आप सबकी जानकारी के लिए माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय हिन्दी समिति की बैठकों, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किये जाने वाले राजभाषा निरीक्षणों, मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों, राजभाषा विभाग की बैठकों, डाक भवन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों आदि में इस मुद्दे को हमेशा गंभीरता से उठाया जाता है किंतु आपके द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण डाक विभाग के राजभाषा अनुभाग को विभिन्न बैठकों में प्रतिकूल एवं गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। स्पष्ट करें कि इस कार्य में इतनी निष्क्रियता क्यों बरती जा रही है?

4. हाल ही में राजभाषा अनुभाग ने उपरोक्त वैबसाइट की जांच की थी जिस दौरान फिर से कई मदें केवल अँग्रेजी में पाई गई हैं जो निम्न प्रकार से हैं-

1. www.indiapost.gov.in

मेन्यू के अनुसार

⇩

1. हमारे बारे में - संगठन के बारे में - डाकघर नेटवर्क - पूरा अँग्रेजी में है
2. नागरिक चार्टर अँग्रेजी में है।
3. नागरिक चार्टर की हेडिंग अँग्रेजी में है।
4. इंडिया पोस्ट केपशन में पहले अँग्रेजी में है फिर हिन्दी में जबकि हिन्दी पहले अँग्रेजी बाद में होनी चाहिए।
5. संसाधन और डाउनलोड में कार्यनीतिक योजना अँग्रेजी में है।
6. कॉरपोरेट योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा अँग्रेजी में है।
7. डीओपी के लिए रिज़ल्ट फ्रेमवर्क डॉकयुमेंट अँग्रेजी में हैं। सभी डॉकयुमेंट द्विभाषी करें अथवा आर्काइव में डाले।
8. सूचना पुस्तक अँग्रेजी में है।
9. सिविल सूची अँग्रेजी में है, द्विभाषी में करें।
10. स्टेटमेंट ऑफ इम्मोवेबल प्रॉपर्टी ऑन फ़र्स्ट एप्पोइंटमेंट को द्विभाषी में तैयार करें।
11. वार्षिक संपत्ति विवरण से जुड़ी 2015 की अधिकारियों की सूची द्विभाषी करें अथवा आर्काइव में डाले और अद्यतन विवरण द्विभाषी करें।
12. सूची के कुछ नाम हिन्दी/अँग्रेजी/द्विभाषी हैं। यहां एकरूपता बनाएँ। नाम आदि द्विभाषी में ही रखें।
13. सीएसएस शीर्षक के तहत इंफोर्मेशन फॉर केडर मेनेज़मेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 2007 विवरण अँग्रेजी में है। इसे द्विभाषी करें अथवा इसे आर्काइव में रखें और अद्यतन विवरण द्विभाषी में करें।
14. उन्नत और आधुनिक डाकघरों की सूची अँग्रेजी में है इसे द्विभाषी करें।
15. इस वैबसाइट पर जो आकड़ें पुराने हैं उन्हे आर्काइव में डाले और नए आकड़ें द्विभाषी में डाले।

16. ऑल इंडिया पिन कोड डायरेक्टरी, जियो कोड्स आदि अँग्रेजी में हैं उन्हे द्विभाषी करें क्योंकि कंट्रीब्यूटर संचार मंत्रालय/डाक विभाग हैं।

17. पिनकोड खोजे में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/शहरों आदि के नाम अँग्रेजी में हैं इन्हे हिन्दी में करें।

18. सभी एफ़एक्यू अँग्रेजी में हैं इन्हे हिन्दी अथवा द्विभाषी में करें।

19. संगठन के तहत संगठनात्मक परिदृश्य में संगठनात्मक संरचना पीडीएफ़ में अँग्रेजी में है उसे द्विभाषी कराएं।

20. सुधार सफलता की कहानियाँ, लोक शिकायत (पीडीएफ़) अँग्रेजी है। उसे द्विभाषी/हिन्दी में करें। प्रोजेक्ट एररो (पीडीएफ़) अँग्रेजी है। उसे द्विभाषी/हिन्दी में करें।

21. निष्पादन डेशबोर्ड अँग्रेजी में हैं उसे द्विभाषी अथवा हिन्दी में करें।

22. डाक
⇩
क्लिक एंड बुक
⇩
व्यक्तिगत
⇩
उपलब्ध स्थान अँग्रेजी में है,इसे हिन्दी/द्विभाषी में कराएं।

23. क्लिक एंड बुक
⇩
उपकरण
⇩
अपने प्रेषित माल को खोजे क्लिक करने पर हेडिंग अँग्रेजी में है।

24. इंटरनल बैंकिंग अँग्रेजी में है।

25. डाक जीवन बीमा अँग्रेजी में है।

26. ग्रामीण डाक जीवन बीमा अँग्रेजी में है।

27. अपने पीएलआई प्रीमियम का भुगतान कैसे करें अँग्रेजी में हैं।

28. डाक टिकट - स्टांप- स्टांप सूची (क्लिक नहीं होता)

29. टिकट ऑनलाइन खरीदें - अभी खरीदें क्लिक करने पर बाहरी वैबसाइट ई पोस्ट ऑफिस पर अँग्रेजी में लॉग इन होता है। स्थिति ठीक करें। हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था की जाएँ । सभी जानकारियाँ द्विभाषी में अद्यतन डाली जाए।

30. मेरा स्टांप के तहत विवरण पीडीएफ़ में खुलता है। इसे द्विभाषी कराएं।

31. मेरा स्टांप ऑर्डर फॉर्म अँग्रेजी में है इसे द्विभाषी करें।

32. स्टांप सूची का पृष्ठ पूर्णतया अँग्रेजी में है जो बाहरी वैबसाइट पर खुलता है।

33. स्टांप पर अधिक जानकारी बाहरी वैबसाइट पर अँग्रेजी में खुलता है।

34. मेरा डाक टिकट पेज अँग्रेजी में है ।

35. डाक टिकट एकत्र करें क्लिक करने पर बाहरी वैबसाइट ई पोस्ट ऑफिस पर अँग्रेजी में लॉग इन होता है।

36. ई- कॉमर्स पोर्टल

⇩

इंडिया रिटेल पोस्ट प्रॉडक्ट बाहरी वैबसाइट इंडिया पोस्ट पर अँग्रेजी लॉग इन होता है।

37. डाक टिकट खरीदें

⇩

बाहरी वैबसाइट इंडिया पोस्ट पर अँग्रेजी लॉग इन होता है।

38. पीएलआई प्रीमियम

⇩

बाहरी वैबसाइट इंडिया पोस्ट पर अँग्रेजी लॉग इन होता है।

39. ई-आईपीओ खरीदें (अँग्रेजीमें ई-आईपीओ खुलता है)

40. व्यवसाय

⇩

पहले बुक करें बाद में भुगतान करें, साइन इन अँग्रेजी में हो रहा है।

41. नमूना अँग्रेजी में डाउनलोड हो रहा है।

42. थोक के लिए भुगतान अँग्रेजी में है।

43. बीएनपीएल- बुक की हुई डाक रद्ध करें - अँग्रेजी में है।

44. डायरेक्टपोस्ट -अवलोकन -हमसे संपर्क करें -यहाँ क्लिक करें -आरटीआई मेनुअल अँग्रेजी मेंखुलता है। आरटीआई मेनुअल द्विभाषी में कराएं।

45. मीडिया पोस्ट पर क्लिक करने पर आरटीआई मेनुअल अँग्रेजी में खुलता है। आरटीआई मेनुअल द्विभाषी में कराएं।

46. रसद पोस्ट- लॉजिस्टिक्स - निकट के महा-निदेशक कार्यालय से संपर्क करें- क्लिक करने पर- आरटीआई मेनुअल अँग्रेजी में खुलता है। आरटीआई मेनुअल द्विभाषी में कराएं।

47. ई- पेमेंट - बिलर आईडी बनाने के लिए प्रपत्र अँग्रेजी में है।

48. उपकरण- हमारी प्रदत्त सेवाओं की अन्य से तुलना क्लिक करने पर हेडिंग अँग्रेजी में आती है।

49. बुक क्लिक करने पर बाहरी वैबसाइट अँग्रेजी में खुलती है।

2. www.ebanking.indianpost.gov.in

यह सारी वैबसाइट अँग्रेजी में है। इसे तत्काल द्विभाषी में तैयार कराये। यह राजभाषा विभाग के नियमों का गंभीर उल्लंघन हैं। इस संबंध में तत्काल कदम उठाएँ जाएँ।

3. www.postagestamps.gov.in

यह वैबसाइट फिलेटली अनुभाग की है जो कि पूर्णतया अँग्रेजी में है। इसे तत्काल द्विभाषी में तैयार कराये।यह राजभाषा विभाग के नियमों का गंभीर उल्लंघन हैं। इस संबंध में तत्काल कदम उठाएँ जाएँ।

4. www.postallifeinsurance.gov.in

1. पीएलआई की हिन्दी वैबसाइट देरी से खुलती है इस समस्या का निदान करें।
2. होम पेज पर मुविंग बैनर्स अँग्रेजी में हैं तत्काल द्विभाषी कराएं।
3. होम पेज पर इंडिया पोस्ट अँग्रेजी में है इसे तत्काल द्विभाषी कराये।
4. संचार मंत्रालय, डाक विभाग आदि अँग्रेजी में हैं इन्हे तत्काल द्विभाषी कराये।
5. कस्टमर पोर्टल अँग्रेजी में हैं इसे द्विभाषी में कराये।
6. हिन्दी वैबसाइट ठीक काम नहीं कर रही है। इस पर ध्यान दें।
7. हमारे बारे में - कोट और आवेदन अँग्रेजी में हैं इन्हे द्विभाषी कराएं।
8. मुख्य पृष्ठ पर पॉलिसी धारक क्लिक करने पर अँग्रेजी में पेज लोग इन हो रहा है। इसे द्विभाषी कराये।
9. मुख्य पृष्ठ- हमारे बारे में-उत्पाद एवं योजना- ग्राहक सेवाएँ आदि में जो भी अँग्रेजी की मदें हैं उन्हे तत्काल द्विभाषी कराएं।
10. समाचारएवं पूछताछ, निविदाएँ हिन्दी में करें ।
11. नए एजेंट क्लिक करने पर पेग अँग्रेजी में खुलता है। इसे हिन्दी में करें।
12. पंजीकृत एजेंट लॉग इन साइट अँग्रेजी में है।
13. पॉलिसी खरीदने की साइट अँग्रेजी में है। इसे द्विभाषी करें।
14. कई स्थान पर पॉलिसी की हिन्दी नीति देखी गई है। यह गलत है। पॉलिसी को पॉलिसी ही रखा जाए। इसकी अवश्य जांच करें कि कहां पर ऐसी बड़ी त्रुटियां हुई हैं।
15. लोक शिकायत बाहरी अँग्रेजी साइट पर खुल रहा है। इसे हिन्दी में करें।
16. ग्राहक सेवायें बाहरी अँग्रेजी साइट पर खुल रही है। इसे हिन्दी में करें।
17. डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन से संबंधित सभी डाउनलोड अँग्रेजी में। इन्हे द्विभाषी तैयार कराएं।
18. प्रकाशन में वार्षिक रिपोर्ट, नियम आदि सभी मदें अँग्रेजी में हैं इन्हे तत्काल द्विभाषी कराएं।

5. www.raknpa.gov.in

1. इस वैबसाइट को न अँग्रेजी वैबसाइट की श्रेणी में रखा जा सकता न ही हिन्दी की वैबसाइट में। स्थिति स्पष्ट करें।
2. कार्यालय के लोगो की जांच करें और उसे द्विभाषी करें।
3. होम पेज पर लिंक्स, हेडिंग्स आदि अँग्रेजी में हैं इन्हे हिन्दी में कराये।
4. कार्यालय की वैबसाइट अलग-अलग हिन्दी-अँग्रेजी में तैयार करना अपेक्षित है।
5. आपके कार्यालय कैसे पहुंचा जाए सारी जानकारी अँग्रेजी में हैं इसे द्विभाषी करें।
6. सिविल लिस्ट अँग्रेजी में है इसे द्विभाषी में कराएं।
7. अकादमी म्यूसिंग्स में जो भी मदें अँग्रेजी में हैं उन्हे तत्काल द्विभाषी कराएं।
8. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, फोकस एरिया, ऑफ कैम्पस कार्यक्रम, प्रशिक्षण कलेंडर की हेडिंग, मेडिकल

सुविधा, अस्पताल के नाम, स्पोर्ट्स सुविधा,पीटीसी संबंधी विवरण सब अँग्रेजी में हैं इन्हे तत्काल द्विभाषी कराएं।

9. प्रशिक्षण पंजीकरण, निविदाएँ और संबंधित लिंक्स सब अँग्रेजी में हैं या बाहरी अँग्रेजी वैबसाइट लिंक्स लोग-इन हो रहें हैं। स्थिति स्पष्ट करें।

6. www.appost.in

यह सारी वैबसाइट अँग्रेजी में है। इसे तत्काल द्विभाषी में तैयार कराये। यह राजभाषा विभाग के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस संबंध में तत्काल कदम उठाएँ जाएँ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रबंधक, सी ई पी टी, मैसूर और उपरोक्त वैबसाइटों के संबंधित कार्यालयों को पुनः निदेश दिये जाते हैं कि वे इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए डाक भवन, नई दिल्ली की वैबसाइट के साथ-साथ अन्य वैबसाइटों के द्विभाषीकरण और अद्यतनता पर विशेष ध्यान देते हुए इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए । इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही अपलोड करें। जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता नहीं है उन्हे आर्काइव में रखें। प्रबंधक, सी ई पी टी, मैसूर एक निश्चित अवधि बताते हुए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा इस कार्यालय ज्ञापन के प्राप्त होने की तारीख से 07 दिनों के अंदर इस कार्यालय ज्ञापन का उत्तर देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

एम. यु. अब्दाली
16/3/2020

एम. यु. अब्दाली

उप महानिदेशक (ईएमएम/राजभाषा)

प्रति–

1. महा प्रबंधक, सी ई पी टी, मैसूर को अपेक्षित कार्रवाई के लिए।
2. एडीजी (एफ़एस II) को अपेक्षित कार्रवाई के लिए।
3. डीडीजी (फिलेटली अनुभाग) को अपेक्षित कार्रवाई के लिए।
4. मुख्य महा प्रबंधक, डाक जीवन बीमा निदेशालय, चाणक्य पुरी डाकखाना कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को अपेक्षित कार्रवाई के लिए।
5. निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी , सीजीओ कॉम्प्लेक्स, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फ़ाइल।